

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)
अधिघोषणा

पटना, तारीख: 03.04.15

सं० - 1728 / 110 वूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-रानी सराय, थाना नं०- 136, परगना- गयासपुर, थाना बाढ़, जिला पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बाढ़ से बख्तियारपुर नई बड़ी रेल लाईन निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम-रानी सराय, थाना नं०- 136 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो गणक माप से कम-वेश 0.895 एकड़ के बराबर होता है और जिसका सर्वे खेसरा संख्या- 202, 203, 206, 207, 208, 209 एवं 214 सभी अंश भाग है

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है -

उत्तर : खेसरा सं० 202, 203, 206, 207 एवं 208 सभी अंश भाग ।

पूरब : मौजा-करनौती, थाना नं०-133 का सीमाना ।

दक्षिण : खेसरा सं० 203, 206, 207, 208, 209, एवं 214 सभी अंश भाग ।

पश्चिम : मौजा-महमूदपुर, थाना नं०- 137 का सीमाना ।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, रलेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिए जायेंगे। यह घोषणा अधिनियम 1,1894 की धारा 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा 3 के खंड (1) तथा संशोधित अधिनियम के धारा 4 सन 1961 एवं 1984 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो। भूमि का मानचित्र जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा।



समाहर्ता,
पटना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



सरकार के सचिव

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, पटना को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।